14.7.25-

वकील साथियान उपस्थित न होने तथा समय चाहा पूर्व के अवसर दिये जा चुके हो आज भी समय चाह रहे हो अन्य प्रार्थना पत्र 21 RTM OORS etc के प्रावधानों के अन्तर्गत खारिज किया जाता है पक्षकी फैसलशुदा होना संलग्न मुलवाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज.)